# न्यायालय
# सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
## धोरीमन्ना—बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः—216/2025 दर्ज तिथिः—17.10.2025

1. शंकरलाल पुत्र प्रतापाराम
जाति विश्नोई निवासी तेतरवालों की बेरी,पटवार हल्का दूधू, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

......................प्रार्थी

*बनाम*

1. तहसीलदार धोरीमन्ना

.........................असल विप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—प्रार्थी स्वयं
अप्रार्थीगणः—पैरोकार सरकार

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—28.10.2025

### प्रार्थना—पत्र

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा —131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के नाम से खातेदारी आराजीयात खसरा संख्या 1080/4/3.2699 है0 वाके ग्राम तेतरवालों की बेरी,पटवार हल्का दूधू, तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर में आया हुआ है। उक्त खेत मूल खसरा संख्या 1080 का भाग था जो ग्राम खूमे की बेरी के नामान्तकरण संख्या 304 अनुसार सहमति विभाजन के जरिये खसरा संख्या 1080/4 का सृजन हुआ। उक्त विभाजन नामान्तकरण संख्या 304 की पुश्त पर अंकित तरमीम व समर्पण भूमि खसरा संख्या 1080/1 से जुड़ा हुआ बताया गया है लेकिन लट्ठा ट्रेस व ऑनलाईन नक्शे में कटाण मार्ग से दूर दर्शाया गया है जो त्रुटिपूर्ण है जबकि मौके पर उक्त खसरा 1080/4 नामान्तकरण की पुश्त पर अंकित तरमीम व समर्पण अनुसार कटाण मार्ग से जुड़ा हुआ है । प्रार्थीगण द्वारा सहमति से राज्य सरकार के पक्ष में रास्ता प्रयोजनार्थ समर्पण करवाया जिसका नामान्तकरण दायर कर रास्ता की तरमीम कर अलग खसरा संख्या 1080/1 कायम किया गया। तथा सममति विभाजन से प्रार्थीगण का खसरा संख्या 1080/4 कायम किया गया जो कटाण मार्ग से जुड़ा हुआ है लेकिन हल्का

पटवारी द्वारा सहमति विभाजन से खसरा संख्या 1080 / 4 की तरमीम कल्मी त्रुटि से कटाण मार्ग से दूर कर दी जबकि मौके अनुसार तरमीम नहीं कि गई अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तरमीम दुरस्त किया जाना न्यायसंगत है।

## जवाब

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्राथीगण जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना से मौके की वर्तमान तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई जिस पर तहसीलदार धोरीमन्ना के पत्रांक 82 दिनांक 10.10.2025 के द्वारा बिन्दुवार मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट मय नजरी नक्शा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार धोरीमन्ना ने अपनी जांच रिपोर्ट व विगतवार जबाव में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए लिखित कथन किया कि सहमति विभाजन नामान्तकरण संख्या 304 की पुश्त पर अंकित तरमीम व समर्पण भूमि खसरा संख्या 1080 / 1 से जुड़ा हुआ बताया गया है लेकिन लट्ठा ट्रेस व ऑनलाईन नक्शे में कटाण मार्ग दूर दर्शाया गया है जिसे नामान्तकरण संख्या 304 व मौका अनुसार खसरा संख्या 1080 / 4 की तरमीम संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसाार दुरस्त किया जाना उचित होने का लिखित कथन किया गया है।

## जिरह

3. प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अंतिम बहस की गई। प्रार्थी की जिरह सुनी गई। जो कि संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैः–

| प्रार्थी | अप्रार्थी |
|---|---|
| *प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–131 136 पर बहस* | |
| 1. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विप्रार्थी तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा बनाई गई वर्तमान मौका रिपोर्ट में पेश नजरिये नक्शा परिशिष्ट 'ब' के अनुसार खसरा संख्या 1080 / 4 रकबा 3.2699 है0 की तरमीम दुरस्त करने से वास्तविक मौके के अनुसार तरमीम हो जाने से मौके पर कोई विवाद नहीं रहेगा तथा खसरों के क्षेत्रफल भी यथावत रहेंगे इसलिए परिशिष्ट ब' अनुसार तरमीम दुरस्त कर इसी अनुसार नक्शा ट्रैस व ऑनलाईन नक्शे में दुरस्ती का इन्द्राज किया जाने का आदेश फरमावें का निवेदन पेश किया। | 1. पैरोकार सरकार ने मौका रिपोर्ट में तरमीम दुरस्त करने में अनापती जाहिर करते हुए परिशिष्ट 'ब' के अनुसार तरमीम दुरस्ती किया जाना उचित होने का कथन किया है। |

5. उक्त प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में यह निर्विवाद तथ्य है कि मौके पर तरमीम त्रुटीपूर्ण है तथा तहसीलदार धोरीमना की मौका रिपोर्ट के संलगन नक्शा परिशिष्ट 'ब' के अनुसार तरमीम दुरस्ती किये जाने पर प्रार्थीगण सहमत है तथा उसी अनुसार तरमीम पुनः दुरस्त करने का निवेदन किया गया है।

## निष्कर्ष

इस प्रकार प्रकरण में **सर्वप्रथम** प्रार्थीगण के खसरा संख्या 1080 / 4 रकबा 3.2699 है0 वाके ग्राम तेतरवालों की बेरी पटवार हल्का दूधू तहसील धोरीमना की तरमीम तहसीलदार धोरीमन्ना की रिपोर्ट दिनांक 10.10.2025 अनुसार के साथ संलग्न नजरी नक्शा 'परिशिष्ट–'ब' के अनुसार तरमीम दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता

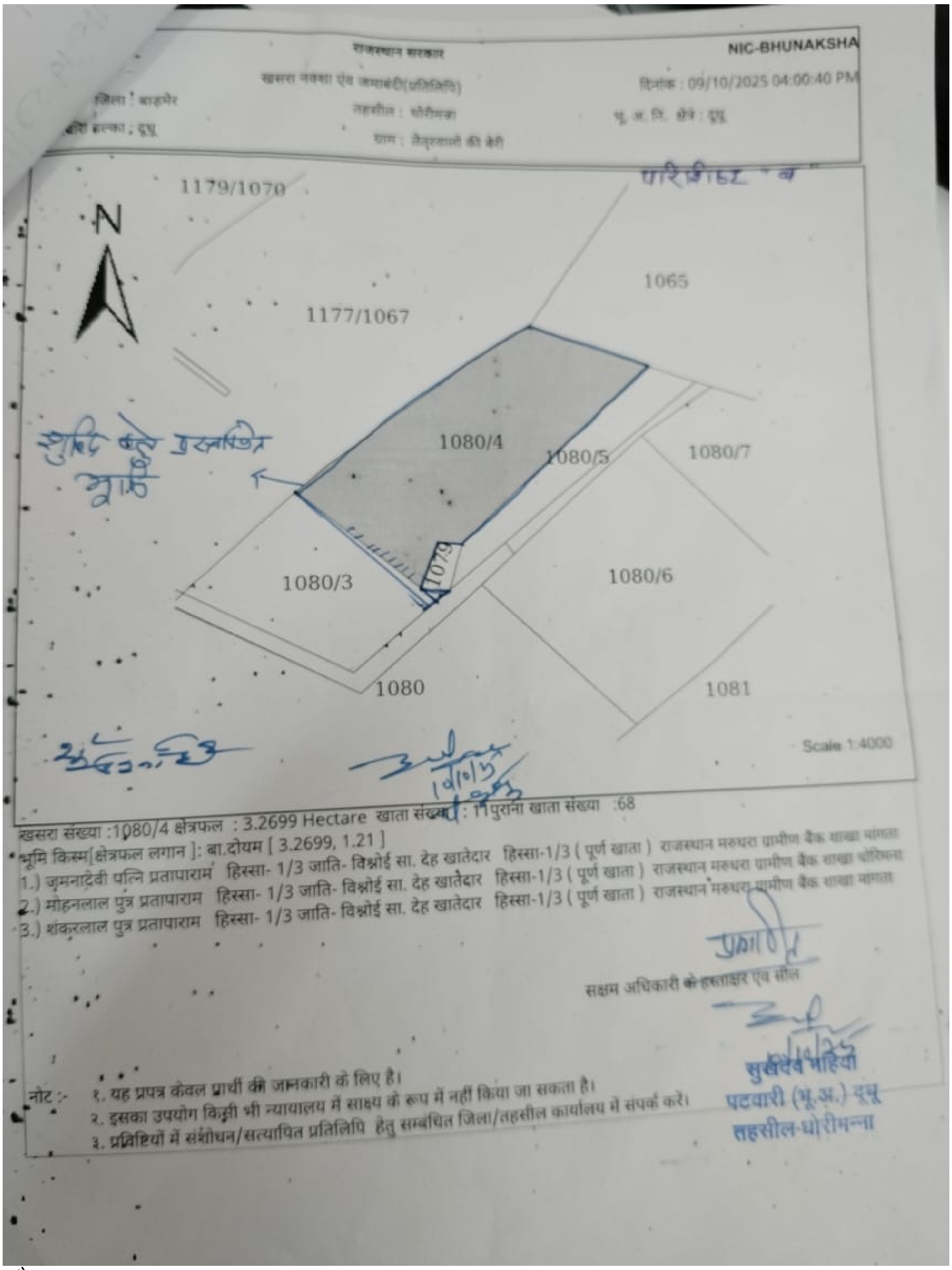


है। अतः

आदेश है कि

*राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बिन्दु संख्या 06 के निर्देशों के साथ स्वीकार किया जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि मौका रिपोर्ट में संलग्न नजरी नक्शा 'परिशिष्ट—ब' के अनुसार तरमीम दुरूस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार धोरीमन्ना की मौका रिपोर्ट दिनांक 10.10.2025 व नजरी नक्शा 'परिशिष्ट ब' निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।*

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार धोरीमन्ना को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 28.10.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना—बाड़मेर